न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 47 / 2024 **जीसीएमएस मु.न. 2024 / 102**

अनवान

1. हुकमी देवी बेवा हरलाल, जाति विश्नोई, उम्र 75 वर्ष, निवासी गंगासरा, अचलपुर तहसील सांचौर,

वादीया......

1. मांगीलाल पुत्र हरलाल, जाति विश्नोई, निवासी गंगासरा (अचलपुर) तहसील सांचौर।
2. कमलेश पुत्र मांगीलाल जाति विश्नोई, निवासी गंगासरा (अचलपुर) तहसील सांचौर।
3. सुरेश पुत्र मांगीलाल, जाति विश्नोई, निवासी गंगासरा (अचलपुर) तहसील सांचौर।
4. व्यवस्थापक–भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर हाल भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिछावाडी।
5. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर।
6. उप पंजियक सांचौर।

प्रतिवादीगण..........

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री जालाराम पूनिया वादीया अधिवक्ता।
2. प्रतिवादीगण 2 से 6 एकपक्षीय व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अशोक कुमार माली।

–: निर्णय :–

दिनांकः–08.10.2025

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 88,188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके कथन संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या एक मुझ वादीया पुत्र है व प्रतिवादी सं. 02 ता 03 मुझ वादीया के पौत्र है। इस प्रकार हम पक्षकार हिन्दू परिवार के सदस्य है। जो हिन्दू विधि से शासित होते है। सरहद मौजा गंगासरा पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर में वादीया की मालिकाना हक हकूक कब्जा उपयोग की भूमि के खेत खसरा नम्बर 02– रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 03 रकबा 4.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 6.30 हैक्टेयर कुल रकबा 10.94 हैक्टेयर भूमि थी। जिसका प्रतिवादीगण ने मुझ वादीया को वंचि[illegible]ड़ा के जरिये अवैध व गलत इन्द्राज करवाया, जिसके नवीन खाता संख्या 174 के खसरा [illegible]359 / 12 रकबा 3.15 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 13 के खसरा नम्बर 12 रकबा 3.15 हैक्टेयर भूमि, खाता नम्बर 120 के खसरा नम्बर 1434 / 3 रकबा 1.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 02 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 03 रकबा 2.286 हैक्टेयर कुल रकबा 4.17 हैक्टेयर के आये हुये है। जिसमे वादीया का 1 / 2 हिस्सा मालिकाना हक हकूक कब्जाकाश्त का आया हुआ हैं। हरलाल फौत होने पर उनके हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम अनुसूची के वारिस स्वर्गीय हरलाल की बेवा मै

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

वादीया एवं स्वर्गीय हरलाल का जाईन्दा पुत्र प्रतिवादी मांगीलाल का बराबर–बराबर हिस्सा खातेदारी अमल दरामद फौतेदगी नामान्तरण में करनी थी, लेकिन फौतेदगी नामान्तरण पारित करते वक्त प्रतिवादी मांगीलाल अकेले का नाम दर्ज कर राजस्व एजेन्सी ने छांठ गांठ कर वादीया को अपने मालिकाना हक हकूक से वंचित कर दिया। जिससे ऐसा करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उक्त अमल दरामद अवैध एवं गैर कानूनी होने से हर सुरत में उक्त इन्द्राज अपास्तनीय योग्य है एवं वादीया का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा की खातेदारी हक हकूक पाने की कानूनीया अधिकारी होने से दावा खातेदारी घोषणा का पेश है। वादग्रस्त आराजी वादीया के पति स्वर्गीय हरलाल पुत्र मिहरी की थी। जो 1/2 हिस्से मे हरलाल पुत्र मिहरी व 1/2 हिस्से मे रामचन्द पुत्र मिहरी के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हुई, जो खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012–2031 से स्पष्ट है। वादग्रस्त आराजी के पुराना खसरा नम्बर 01 रकबा 64 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 06 रकबा 43 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 07 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 09 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा थें। जिसके द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 01,02,03,11,12,13,14,15,15/1154 कुल रकबा 22 बीघा भूमि का रामचन्द व हरलाल के मध्य सन 2001 में 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा अनुसार बंटवाड़ा होकर नामान्तरण संख्या 24 दिनांक 29.10.2001 को स्वीकृत होकर रामचन्द्र व मांगीलाल के अलग–अलग खातेदारी अमल दरामद हुई। जिसके अनुसार नवीन खसरा नम्बर 02,03,12 जुमलै रकबा 10.94 हैक्टेयर प्रतिवादी मांगीलाल के खाते में रखी गई तथा शेष भूमि रामचन्द के वारिसान के खाते में रखी गयी। जिससे उक्त मांगीलाल के खाते में दर्ज हुई भूमि में से 1/2 हिस्से की वादीया का मालिकाना हक हकूक कब्जा उपयोग होने एवं मौके पर वादीया की ढाणी स्थित होने से उक्त 1/2 हिस्से को प्रतिवादी मांगीलाल पाने का कानूनीया अधिकारी नहीं होने से मांगीलाल के कानूनी हक से ज्यादा की भूमि दर्ज होने से उक्त तमाम इन्द्राज अपास्तनीय योग्य होकर वादीया 1/2 हिस्से की खातेदारी पाने की हकदार होने दावा एतदर्थ माननीय अदालत में पेश है। उक्त विवादित आराजी में वादीया का हकूक व मालिकाना कब्जा अधिकार है। वादीया का मौके पर पुश्तैनी कब्जाकाश्त उपयोग उपभोग आया हुआ है। मौके पर वादीया की रहवासीय ढाणी भी स्थित है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा भी वादीया की सहमति से नही हुआ है, वादीया का वादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा हक निहित जिससे वादीया को कोई सुनवाई का अवसर दिए बिना एवं वादीया की बिना सहमति से विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। जिससे संयुक्त आराजी है, जिसमें वादीगण का कण–कण में पुश्तैनी, हक हिस्सा मौजुद है। वादीया वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी हक हकूक निहित [illegible] का अपने पति हरलाल पुत्र मिहरी के नाम से इन्द्राज था। इस प्रकार वादग्रस्त [illegible] वा[illegible] की पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त भूमि में वादीया प्रत्येंक का 1/2 हिस्सा आया हुआ है। [illegible] हिस्सा का अधिकार, हक वादीया का स्वर्गीय हरलाल के फौत होने से निहित हो चुका है। यह है कि वादीया के पति हरलाल फौत होने पर 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी मांगीलाल के नाम गलत व विधि विरूद्ध रूप से दर्ज हुई। जिसका नाजायज फायदा उठाकर मांगीलाल ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का इन्द्राज अपने पुत्रगण सुरेश व कमलेश को करवाया दिया। जो उक्त 1/2 हिस्सा वादीया के मालिकाना हक की भूमि का इन्द्राज सुरेश व कमलेश के नाम अवैध गैर कानूनी रूप से करा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

दिया, जिससे अवैध व गैर कानूनी इन्द्राज से सुरेश व कमलेश को किसी प्रकार का कोई अच्छा स्वतः टाईटल हासिल नहीं होता है तथा मौके पर 1/2 हिस्सा पर वादीया का कब्जा उपयोग है। सुरेश व कमलेश का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। इस प्रकार मांगीलाल को 1/2 हिस्से से ज्यादा भूमि का इन्द्राज अपने पुत्रो के नाम करवाने का अधिकार नहीं था। उसके बावजूद भी 1/2 हिस्से से ज्यादा इन्द्राज करवा दिया है। जिससे ऐसे तमाम इन्द्राज अपास्तनीय योग्य है। वादग्रस्त भूमि बैचान, रहन करने हेतू प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 03 के साथ मिलकर कई बार वादीया को ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त भूमि को बैचान करने का सौदा तय हो गया है, आप कब्जा खाली कर दो, अन्यथा आपको जबरन वैदखल कर कब्जा कराएंगे। जिससे ऐसा करने का उन्हे कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादीया को ऐलानियां धमकियां दे चुके है कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को बेचान, रहन कर देगें तथा वादीया को जबरन बेदखल करेंगें। जिससे वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पानें का हकदार होने से दावा पेश है विनायवाद उस समय पैदा हुआ कि मुझ वादीया के पति हरलाल पुत्र मिहरी के फौत होने पर फीतेदगी नामान्तरण में प्रतिवादी मांगीलाल के बराबर हिस्से वादीया का नाम दर्ज करना था, जो नहीं कर वादीया को अपने हक हिस्से से वंचित कर दिया। तत्पश्चात दिनांक 28.06.2024 प्रतिवादीगण नें वादीया को ऐलानियां धमकियां दी गई है कि वादग्रस्त भूमि मे वादीया द्वारा अपने पुश्तैनी हक हिस्से बंट के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण तमाम एक नाजायज गिरोह के साथ मौके पर आए और वादीया को खेती करने एवं घर से घर में रहने से रोक दिया तथा एलानिया धमकीया दी कि वादग्रस्त भूमि से कब्जा खाली कर दो, अन्यथा आपको पुश्तैनी हक कब्जे से गिरोह के जरिये बेदखल कर देगें तथा राजी अजनवी व्यक्ति वैचान, रहन तर्क वगैरा कर कर देगें। जिससं विनायवाद बमुकाम गंगासरा में पैदा हुआ व निरन्तर जारी है। वादग्रस्त आराजी मौजा गंगासरा पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर में वादीया की मालिकाना हक हकूक कब्जा उपयोग की भूमि के खेत खसरा नम्बर 02 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 03 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1434/03 रकबा 1.82 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1359/12 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 3.15 हैक्टेयर कुल रकबा 10.47 हैक्टेयर में स्वर्गीय हरलाल पुत्र मिहरी की वादीया बेवा होने से वादीया का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा मालिकाना हक हकूक कब्जा उपयोग होने से 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमायें। वादग्रस्थ आराजी वादीया की हिस्से व कब्जाकाश्त की भूमि होनें से उक्त आराजी का प्रतिवादीगण बेचान, वसीयत, रहन, हस्तांतरण, दान या अन्य तरीके से संक्रान्त, दुर्व्ययन व [illegible] वादीगण के पुश्तैनी कब्जाकाश्त में दखलन्दाजी पैदा करें एवं न ही अन्य [illegible] से [illegible] एवं न ही किसी प्रकार का कोई कच्चा या पक्का निर्माण करें। इस आशय की [illegible] बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

2. उक्त प्रकरण दिनांक 04.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाकर तलब किया, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार माली उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि अवतरण संख्या एक व 2 सही होने से स्वीकार है। अवतरण संख्या तीन अनुसार हुकमी देवी मुझ प्रतिवादी की माता है। जिसमें फौतेदगी नामान्तरण में नाम नहीं दर्ज करने हेतु कतई राजस्व एजेन्सी कहा था। राजस्व एजेन्सी ने अपने हिसाब से ही मेरे नाम से इन्द्राज किया गया है। जिसमें मेरे नाम से इन्द्राज होने से राजस्व एजेन्सी ने ही बंटवाड़ा किया है। जिसमें मेरा कोई सरोकार नहीं है। यदि हुकमी देवी के नाम से वादग्रस्त आराजी मे खातेदारी घोषणा की जाती है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। अवतरण संख्या चार से छः सही होने से स्वीकार है व अवतरण संख्या सात कानूनी है। अवतरण संख्या आठ अनुसार वादग्रस्त आराजी संयुक्त आराजी है. अजनबी व्यक्ति के साथ मिलकर अच्छी से अच्छी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। जिसे स्थाई निषधाज्ञा जारी की जाती है तो न्याय निस्तारण होगा। अवतरण संख्या नो कानूनी है।

4. प्रकरण में प्रतिवादीगण 2 से 6 एकपक्षीय व प्रतिवादी सं. 1 साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पेष कर गवाह करवाने गये जो इस प्रकार से है। हस्तगत प्रकरण में वादी की ओर से गवाह पीडब्लयू 1 हुकमी देवी पत्नी स्व. हरलाल ने उपस्थित न्यायालय होकर अपने बयान लेखबद्ध करवाये जो जमांबदी प्रदर्श–01, प्रदर्श–2. प्रदर्श–3 संवत् 2075–2078 पेश की है। परिवार राशन कार्ड प्रदर्श–4 पेश किया है, वोटर लिस्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सांचौर प्रदर्श–5 पेश की है. वोटर आईडी कार्ड प्रदर्श–6 की है जो फोटो प्रति प्रदर्श–6ए है, जमाबंदी संवत् 2063–2066 प्रदर्श7 है, जमाबंदी संवत् 2067–2070 प्रदर्श–8 है, जमाबंदी संवत् 2055–2058 प्रदर्श–9 है, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–10 है, मिसल बंदोबस्त द्वितीय प्रदर्श–11 है. नामान्तरकरण पंजीका ग्राम अचलपुरा प्रदर्श–12 है जो गलत भरा गया है. जमाबंदी संवत् 2026–2029 प्रदर्श–13 है. जमांबदी संवत् 202–2025 प्रदर्श–14 है. खतोनी बंदोस्त प्रथम प्रदर्श 15 है, नामान्तरकरण पंजीका बंटवाडा जो गलत हुआ प्रदर्श–16 व प्रदर्श–17 है। इसी प्रकार गवाह मोहनलाल पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी गंगासरा व गोपीकिशन पुत्र बाबुलाल जाति विश्नोई निवासी गंगासरा ने उपस्थित न्यायालय होकर अपने बयान लेखबद्ध करवाये जिसमें बताया कि हरलाल की पत्नी हुकमी देवी है तथा हरलाल की मृत्यु करीब 50 से 52 वर्ष पूर्व हुई व हरलाल के एक पुत्र मांगीलाल है। इसके सिवाय हरलाल के कोई वारिस नहीं है।

5. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मौजा गंगासरा पटवार हल्का अचलपुर तहसील सांचौर में वादीया की मालिकाना हक हकूक कब्जा उपयोग की भूमि के खेत खसरा नम्बर 02 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, [illegible] 03 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1434/03 रकबा 1.82 हैक्टेयर व खसरा नम्बर [illegible] 12 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 3.15 हैक्टेयर कुल रकबा 10.87 हैक्टेयर [illegible] स्वर्गीय हरलाल पुत्र मिहरी की वादीया बेवा होने से वादीया का उक्त आराजी में 1/2 हिस्से मालिकाना हक हकूक कब्जा उपयोग होने से 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमायें। प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने उभय पक्षकारान की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तोवेजात् से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीया को अपने हक हकूक व हिस्से से वंचित रखा है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

—:आदेशः—

7. उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा गंगासरा पटवार हल्का अचलपुर के खसरा नम्बर 02 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 03 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1434/03 रकबा 1.82 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1359/12 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 3.15 हैक्टेयर कुल रकबा 10.47 हैक्टेयर भूमि में वादीया को 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित की जाती है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीया के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे, इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जावे। उक्तानुसार निर्णय की डिक्री पर्चा जारी किया जावे तथा तहसीलदार सांचौर को इस निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे। पक्षकार अपना—अपना खर्चा वहन करे।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 8/10/2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6—7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

अनवान

1. हुकमी देवी बेवा हरलाल, जाति विश्नोई, उम्र 75 वर्ष, निवासी गंगासरा, अचलपुर तहसील सांचौर,

वादीया......

1. मांगीलाल पुत्र हरलाल, जाति विश्नोई, निवासी गंगासरा (अचलपुर) तहसील सांचौर।
2. कमलेश पुत्र मांगीलाल जाति विश्नोई, निवासी गंगासरा (अचलपुर) तहसील सांचौर।
3. सुरेश पुत्र मांगीलाल, जाति विश्नोई, निवासी गंगासरा (अचलपुर) तहसील सांचौर।
4. व्यवस्थापक—भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर हाल भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिछावाडी।
5. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर।
6. उप पंजियक सांचौर।

प्रतिवादीगण..........

अन्तर्गत धारा 88,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 47/2024

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीया की ओर से वकील श्री जालाराम पूनिया उपस्थित, प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार माली, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 एकपक्षीय मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा गंगासरा पटवार हल्का अचलपुर के खसरा नम्बर 02 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 03 रकबा 2.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1434/03 रकबा 1.82 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1359/12 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 3.15 हैक्टेयर कुल रकबा 10.47 हैक्टेयर भूमि में वादीया [illegible] 1/2 हिस्से [illegible] घोषित की जाती है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीया के कब्जे काश्त [illegible] प्रति[illegible]गण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी [illegible] से [illegible] इस [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेषित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वादीया के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जावे। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 8/10/2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला—जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:40:55 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पैसा	मुददयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	6	00	मौजाना	2	00

सहायक कलेक्टर
सांचौर जिला–जालोर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:55 IST
Reason: SelfAttested